

1.	योजना का नाम	गाडिया लोहारों को कच्चा माल क्रय करने हेतु अनुदान योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	गाडिया लोहारों को आर्थिक विकास हेतु उनके व्यवसाय में सहायता प्रदान करने हेतु अनुदान दिया जाता है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 1991
4.	लाभान्वित वर्ग	गाडिया लोहार वर्ग
5.	पात्रता	आवेदनकर्ता गाडिया लोहार जाति से संबंधित हो तथा उसके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र हो।
6.	देय सुविधाएं	प्रत्येक गाडिया लोहार को 2,500 रुपये की राशि का अनुदान कच्चा माल क्रय किये जाने हेतु स्वीकृत किया जायेगा।
7.	आवेदन का तरीका	निर्धारित आवेदन पत्र में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर संबंधित जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
8.	आवेदन कहाँ किया जावे	संबंधित जिलों के जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> • निर्धारित आवेदन पत्र • जाति प्रमाण पत्र की प्रति • निवास प्रमाण पत्र की प्रति
10.	सम्पर्क सूत्र	जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग